



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

Gvt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 2153-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2019-54-अ0प्र0-07/16

दिनांक 29/07/2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अधोअंकित सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) जिनकी नियुक्ति कारपोरेशन पत्र सं0-3281-अ0प्र0-07/पाकालि/16, दिनांक 31.08.2016 एवं 1159-अ0प्र0-07/पाकालि/17, दिनांक 21.04.2017 द्वारा की गई है, की निर्धारित ऑन जॉब प्रशिक्षण एवं आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त उनका विनियमितीकरण करते हुए उनको कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न एवं अस्थायी सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0 संवर्ग) के पद पर उपरोक्त सन्दर्भित नियुक्ति पत्र में वर्णित सेवा शर्तों के अधीन विनियमित किया जाता है एवं उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में इंगित डिस्कॉम/इकाई में तैनात किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि/गृह जनपद/श्रेणी सर्वश्री/सुश्री	अनुक्रमांक	सहा0अभि0 (प्रशिक्षु) (वै0 एवं या0) के पद पर वर्तमान तैनाती इकाई/डिस्कॉम	आवंटित अभिज्ञान संख्या	विनियमितीकरण पश्चात नवीन तैनाती इकाई/डिस्कॉम
1	2	3	4	5	6
इलेक्ट्रिकल					
1.	संदीप कुमार/राम बचन/14.07.1989/आजमगढ़/सामान्य	20162454	पूर्वांचल	2016314	पूर्वांचल
2.	विवेक कुमार/रामानन्द/11.11.1994/गोरखपुर/अ0पि0व0	1EL04934	ट्रान्समिशन	2017668	विद्युत आयात-निर्यात एवं भुगतान मण्डल, शक्ति भवन विस्तार

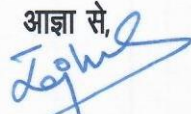
- उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर पावर कारपोरेशन द्वारा भविष्य में समय समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम एवं आदेश लागू होंगे।
- उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर कारपोरेशन में वर्तमान में प्रभावी अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ) 2004 एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे।
- उपरोक्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असंतोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन पर, यदि अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवाये बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।
- उपरोक्तानुसार सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वास्तविक यात्रा अवधि एवं सामान्य यात्रा भत्ता ही देय होगा एवं कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 2153 (1)-अ0प्र0-07 / पा0का0लि0 / 2018, तददिनांक (29.07.2019)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को कानपुर।
4. महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को उनके पत्रांक 1170/वि0प्र0सं0(ल0)/18, दिनांक 27.11.2018 के सन्दर्भ में।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. उपसचिव (03/04/गोपन) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं0 407 उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अनुभाग अधिकारी (03/04/गोपन), शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सम्बन्धित सहायक अभियन्तागण।
11. वैयक्तिक पत्रावली।
12. कट फाइल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उपसचिव (07)